राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 73/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
प्रकाश राज गेहलोत मु -रसियावास खुर्द] पोस्ट-पलासिया कलां] तहसील- आहोर, जालोर,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 25-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अनूप गुप्ता एवं श्री प्रतीक अग्रवाल, सहायक अभियंता, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 4-7-17 मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत कर, अपीलार्थी को सेवा में वापिस लेने के आदेश एवं सभी प्रकार के परिलाभ प्रदान करने आदि के सम्बन्ध में 5 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 28-8-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के सूचना के आवेदन में विशिष्टियों का अभाव हैं। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में उनकी परिवेदना पर कार्यवाही करने की अपेक्षा की है। अपीलार्थी को पत्र दिनांक 25-7-17 से विनिश्चय प्रेषित कर दिया गया था एवं उक्त विनिश्चय को उचित मानते हुए प्रथम अपील भी निर्णय दिनांक 28-8-17 से खारिज कर दी गई।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 23-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का आवेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना पर कार्यवाही की अपेक्षा की है, सूचना के आवेदन में विशिष्टियों का अभाव है। अतः सूचना आवेदन अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुकूल नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पत्र दिनांक 25-7-17 से विनिश्चय प्रेषित कर दिया गया है तदुनसार प्रथम अपील भी निर्णय दिनांक 28-8-17 से खारिज की जा चुकी है।

8. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना

समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त